

25

## न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका

फारम सं० 5651  
बोर्ड फारम सं० 508

(बोर्ड के आदेश सं० 4116वीं ता० 12-8-11 में अनुमोदित)

51411 हायद  
481952  
(स्वायं रूप से खण्डित)

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण

(देखें नियम 127 अभिलेख हस्तक 1911)

9777  
23/11/11  
एक 16 अना

(6)

.....विभाग

(पहला पन्ना)

केस नं० SRCAR 36 वर्ष 2002-03 रजिस्टर सं० .....

इस्टेट ..... परगना ..... तौजी सं० .....

अर्जीकार -

प्रतिपक्षी

अधिनियम ..... सं० ..... वर्ष ..... के अधीन  
निर्णय की तारीख ..... अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख .....

क्र० सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को फाइल किया गया	पन्नों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	कागज की श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7



आदेश की क०  
न० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर  
की गई  
कार्रवाई

22.2.22

अभिलेख उपर-व्याप्त।

आदेशक अनुपरीक्षा / अभिलेख दिनांक

22.3.22 को रखे।

अभि सुभाष उपर-व्याप्त।  
उत्तर।

22.3.22

अभिलेख उपर-व्याप्त।

आदेशक अनुपरीक्षा / अभिलेख दिनांक

22.4.22 को रखे।

अभि सुभाष उपर-व्याप्त।  
उत्तर।

22.4.22

अभिलेख उपर-व्याप्त।

आदेशक अनुपरीक्षा / अभिलेख दिनांक

3.6.22 को रखे।

अभि सुभाष उपर-व्याप्त।  
उत्तर।

3.6.22

अभिलेख उपर-व्याप्त।

आदेशक अनुपरीक्षा / अभिलेख दिनांक

26.7.22 को रखे।

अभि सुभाष उपर-व्याप्त।  
उत्तर।

26.7.22

अभिलेख उपर-व्याप्त।

अभिलेख का अन्वयार्थ दिनांक 25.6.22

है कि उम्मीद लगाता अनुपरीक्षा है।

जिससे पुरीत होता है कि उम्मीद का

कार की कार्रवाई के कोई अभिलेखी नहीं

है। उम्मीदकार कार की कार्रवाई करने

का कोई अभिलेख पुरीत नहीं होता है।

अतः उम्मीदकार के अभिलेख के उम्मीद

के कार की कार्रवाई उम्मीद की जारी है।

लेखापत्र एवं रजिस्ट्रार

अभि सुभाष उपर-व्याप्त।  
उत्तर।

अभि सुभाष उपर-व्याप्त।  
उत्तर।